पत्र संख्या : 7ब / 4702 यो०ज०सं०-04 / 17 /125

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 17-10-17

विषय :- माँग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय, लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-18-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50S470200101180545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2017-18** में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2017-18** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	माँग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1	माँग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल / 18-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य 50S470200101180545	**725.85**
आवंटित राशि - ₹ सात करोड़ पच्चीस लाख पचासी हजार मात्र।				

2. आवंटित राशि वर्ष **2017-18** के संशोधित बजट उपबंध रू० 15100.00 लाख (एक सौ एकावन करोड़) मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003, 1363 दि० 09.05.2016 तथा 2747(वि०), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम / अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. **AIBP** योजनाओं के लिए **MOU** में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर 2017 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(सुखदेव सिंह) 16/10
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 125 रॉची, दिनांक :– 17-10-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड; पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग/गिरिडीह/गढ़वा/पलामू/मेदिनीनगर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(सुखदेव सिंह) 16/10
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 125 राँची, दिनांक :– 17-10-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह) 16/10
अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः – 125 /राँची, दिनांक– 17-10-17

परिशिष्ट–1

माँग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –101–सतही जल,
उपशीर्ष – 18– चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 निर्माण कार्य
विपत्र कोड–50S470200101180545
संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2017–18) रू॰ 15100.00 लाख (एक सौ एकावन करोड़) मात्र।

(राशि – लाख ₹ में)

क्र॰	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का राशि	मार्च 2017 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन: पूर्व का आवंटन	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन: वर्त्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन: कुल आवंटित राशि	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)	हजारीबाग	बरही	केदारूख उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	13/05.05.16	49.110	0.000	0.00	85.00	85.00	68294	
2		हजारीबाग	बरही	बनगांवा उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	13/05.05.16	46.549	0.000					
					योग	**95.659**	**0.000**	**0.00**	**85.00**	**85.00**		
3	लघु सिंचाई प्रमंडल गोड्डा (GDDMIR014)	गोड्डा	बसंतराय	उल्टाहा बांध में वीयर का निर्माण	35/20.11.15	291.086	220.000	30.00	20.00	50.00	68534	
					योग	**291.086**	**220.000**	**30.00**	**20.00**	**50.00**		
4	लघु सिंचाई प्रमंडल गिरीडिह (GRDMIR001)	गिरिडीह	डुमरी	ग्राम जोभी में कौरा नाला पर चेकडैम का निर्माण	51/04.02.16	27.236	21.199	0.00	71.85	71.85	68535	
5		गिरिडीह	पीरटॉड	ग्राम बेलाटांड में कूर्वा नाला पर चेकडैम का निर्माण	51/04.02.16	29.597	29.590					
6		गिरिडीह	पीरटॉड	ग्राम नारायणपुर में नारायणपुर नाला पर चेकडैम का निर्माण	51/04.02.16	30.527	28.692					
7		गिरिडीह	पीरटॉड	ग्राम कोल्हुटांड में नारायणपुर नाला पर चेकडैम का निर्माण	51/04.02.16	30.527	29.968					
8		गिरिडीह	पीरटॉड	ग्राम गोलाडाबर में चिरकी नदी में चेकडैम का निर्माण	51/04.02.16	111.209	70.652					
9		गिरिडीह	पीरटॉड	ग्राम कसियाडीह में कसियाडीह नाला में चेकडैम का निर्माण	51/04.02.16	45.001	19.747					
10		गिरिडीह	पीरटॉड	ग्राम करन्दो में करन्दो तालाब में दो अदद् माईक्रोलिफ्ट का निर्माण	51/04.02.16	5.990	0.000					
					योग	**280.087**	**199.848**	**0.00**	**71.85**	**71.85**		

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह) 16/10
अपर मुख्य सचिव

क्र॰	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का राशि	मार्च 2017 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन पूर्व का आवंटन	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन कुल आवंटित राशि	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	लघु सिंचाई प्रमंडल,गढ़वा (GRHMIR001)	गढ़वा	डंडई	मंगर दाहा नाला पर चेक डैम का निर्माण सं०–1	83/27.01.17	83.321	0.000	205.00	213.00	418.00	68536	
12		गढ़वा	डंडई	मंगर दाहा नाला पर चेक डैम का निर्माण सं०–2	83/27.01.17	83.670	0.000					
13		गढ़वा	डंडई	मंगर दाहा नाला पर चेक डैम का निर्माण सं०–3	83/27.01.17	84.399	0.000					
14		गढ़वा	डंडई	मंगर दाहा नाला पर चेक डैम का निर्माण सं०–4	83/27.01.17	85.371	0.000					
15		गढ़वा	डंडा	ककंरिया नाला पर चेक डैम निर्माण सं०–1	83/27.01.17	84.079	0.000					
16		गढ़वा	डंडा	ककंरिया नाला पर चेक डैम निर्माण सं०–2	83/27.01.17	93.222	0.000					
17		गढ़वा	मझिआंव	खजूरी मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण	06/07.06.12	958.835	829.670	0.00	200.00	200.00	68538	
					योग	**1472.897**	**829.670**	**205.00**	**413.00**	**618.00**		
18	लघु सिंचाई प्रमंडल मेदिनीनगर (PLMMIR041)	पलामू	सतवरवा	बडका नाला–2 पर चेकडैम निर्माण	83/27.01.17	59.737	0.000	150.00	136.00	286.00	68537	
19		पलामू	सतवरवा	गढ़ नाला पर पक्का चेकडैम निर्माण	83/27.01.17	48.226	0.000					
20		पलामू	सतवरवा	बढका नाला पर पक्का चेकडैम निर्माण	83/27.01.17	60.183	0.000					
21		पलामू	पांकी	झुमेलवा नाला पर पक्का चेकडैम निर्माण	83/27.01.17	54.362	0.000					
22		पलामू	चैनपुर	परसन नाला–2 पर पक्का चेकडैम निर्माण	83/27.01.17	50.161	0.000					
23		पलामू	चैनपुर	परसन नाला पर पक्का चेकडैम निर्माण	83/27.01.17	48.750	0.000					
					योग	**321.419**	**0.000**	**150.00**	**136.00**	**286.00**		
							कुल योग	**385.00**	**725.85**	**1110.85**		

आवंटित राशि – ₹ सात करोड़ पच्चीस लाख पचासी हजार मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

125
17-10-17

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह) 16.10.17
अपर मुख्य सचिव